केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00089

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00099

अपीलकर्ता श्री विमल शंकर विश्वकर्मा

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.02.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	13.02.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	28.02.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस.अनंथारमन CPIO, (DR to IC VT)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	01.04.2025
निर्णय की तारीख	29.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.02.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

" उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तथा उचित न्याय हेतु अपील प्रस्तुत कर रहा हूँ याचिका सं0 CIC/AD/A/2014/001145 दिनांक 07.09.2012 याचिका सं0 CIC/VS/A/2014/000253 दिनांक 10.07.2015 पारित निर्णय मेरे पक्ष में फैसला हुआ परन्तु रेल कारखाना जमालपुर के श्री राजीव कुमार सहायक कार्मिक अधिकारी को हम से व्यक्तिगत अवैध राशि का फायदा नहीं देने के चलते दिनांक 19.07.2016 के अपने फैसले में मेरे नाम लिखे गए

टिप्पणी आपके मामले में केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली द्वारा अब तक कुल चार वार याचिका ख़ारिज किया जा चुका है।

(क) - दिनांक 18.10.2017 के RTI आवेदन के माध्यम जमालपुर कारखाना के लोक प्राधिकारी से मेरा आयोग द्वारा चार याचिका ख़ारिज किए गए का प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु सत्यापित छाया प्रति का मांग किए परन्तु मुझे सत्यापित छाया प्रति प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) - भारत सरकार के उप सचिव सह CPIO कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली मुझे निर्देश दिए अगर आपको लोक प्राधिकारी (PIO) से सत्यापित छाया प्रति प्राप्त नहीं हुआ तो आप RTI Act, 2005 की धारा 8 - ग (ii) के तहत प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु सत्यापित छाया प्रति माननीय केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली से शिकायत कर मांग सकते है। इस आधार पर मैं दिनांक 27.12.2017 के RTI आवेदन के माध्यम जमालपुर कारखाना के श्री राजीव कुमार सहायक कार्मिक अधिकारी द्वारा मेरे नाम दिनांक 19.06.2016 के अपने फैसले में लिखे गए टिप्पणी आपके मामले में आयोग (CIC) द्वारा चार याचिका ख़ारिज किए गए का प्रमाणित हेतु सत्यापित छाया प्रति मांग किये गए के फलस्वरूप माननीय आयोग के श्री आर0 के0 सिंह अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकार दिनांक 16.03.2017 के अपने फैसले में आयोग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक, सूचना आयुक्त (ए0 पी0) कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आर0टी0आई0 आवेदन का पुनः अवलोकन करे एवं इस आदेश की प्राप्ति के दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को वांछित सूचना उपलब्ध करवाए ? परन्तु इस निर्देश को आयोग के श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा सूचना आयुक्त दिनांक 06.09.2019 के अपने फैसले में आयोग के प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2018 को दिए गए निर्देश अभेलना कर एवं मांगी गई सूचना का नेचर बदल कर अन्याय पूर्ण तरीके से ख़ारिज कर दिए। न्यायदाता - इस किए गए घृणित एवं बाध्यकारी कार्य का दिनांक 29.01.2020 के RTI आवेदन के माध्यम श्रीमान जे0 जी0 सुरवरमणियम उप सचिव सह CPIO राष्ट्रपति सचिवालय नई दिल्ली से शिकायत किये - इस तरह दिनांक 24.01.2022 दिनांक 15.04.2022 दिनांक 28.01.2023, दिनांक 13.04.2023 मेरे पक्ष में निर्देश हुआ, परन्तु इस फैसले को अभेलना कर मनमानी विभागिए कार्यवाही दिनांक – 09.12.2024 को समाप्त किए (भ्रष्टाचार को अपनाते हुए) इन सभी अभिलेखों पर करे विचार आयोग ?

अतः माननीय आयोग से मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि अब इस प्रपत्र पर जाँच पड़ताल एवं अध्यन कर जो उचित बनती है वह कार्यवाही करने की कृपा की जाये, ताकि आयोग के श्री आर0 के0 सिंह अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.03.2018 को दिए गए निर्देश आयोग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप पंजीयक सूचना आयुक्त (ए0 पी0) कार्यालय से अनुपालन कराने की कृपा की जाये। मैं केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली का सदा आभारी रहूँगा।"

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.अनंथारमन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 28.02.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"No specific information has been sought in your RTI application. However, you have narrated your grievances for which CIC has no answer."

3. प्रथम अपील का आधार

अपीलकर्ता, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के जवाब से संतुष्ट नहीं है।(फाइल में सल्गन है)

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00099 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक - 29.04.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(8) 30/04/25

O/C

C. I. C. /के० सू० आ०
RECEIVED
30 APR 2025
D. No. ....
Initials...........